मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश
टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याः18–एएसआई(लिपिक)–271–2023(मयंक मिश्र) दिनांकःलखनऊःनवम्बर 17 ,2023

आदेश

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) मयंक मिश्र पीएनओ–982500518 जनपद आजमगढ़ द्वारा निर्देश याचिका संख्या–1448/2020 मयंक मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकः10.11.2022 के आलोक में याची को प्रदत्त दण्डादेश अपास्त हो जाने के कारण पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में उ0प्र0 शासन से 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से मांगी गयी थी, जिसके कम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–6–1001/7/2023–()–1 दिनॉक 22.09.2023 द्वारा चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 01 अधिसंख्य पद के सृजन की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर याची को चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्याः UPPRPB-PROMOSI/3/2023 दिनांकः 09.11.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयन वर्ष 2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0सं0	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	982500518	मयंक मिश्र	स्व0 चन्द्रशेखर मिश्र	2020	आजमगढ़

3– पदोन्नति पाये उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित 2020 में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

Scanned with OKEN Scanner

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

5– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6– यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जनपद उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(एल0आर0 कुमार)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी।

3–पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़।

4–पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) मयंक मिश्र पीएनओ –982500518 जनपद आजमगढ़ को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनॉक सहितलेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

Scanned with OKEN Scanner